



2026:AHC-LKO:19359

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-ए संख्या - 8997 वर्ष 2022

मधुसूदन द्विवेदी एवं 5 अन्य

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,

गृह विभाग, सिविल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

एवं 3 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : जय नारायण मिश्रा, राज कुमार सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, विनोद कुमार सिंह

न्यायालय संख्या-7

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार, विरोधी पक्ष संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान राज्य अधिवक्ता तथा विरोधी पक्ष संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर० के० उपाध्याय को सुना ।
2. जहाँ तक विरोधी पक्ष संख्या 5 से 11 को सूचना का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2023 के आदेश द्वारा सूचना निर्गत किए जाने का निर्देश दिया गया था तथा आगे यह निर्देश भी दिया गया था कि उन पर तामील उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से दस्ती सूचना द्वारा कराई जाए। उक्त के अनुपालन में, आयोग द्वारा दिनांक 11.11.2024 का तामील शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि उपर्युक्त व्यक्तियों को इस याचिका की लंबितता के संबंध में पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचना प्रेषित किए गए , किन्तु उक्त पंजीकृत लिफाफे आयोग को वापस प्राप्त नहीं हुए हैं।
3. उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कि विरोधी पक्ष संख्या 5 से 11 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचना प्रेषित किए गए हैं, सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार तामील की अनुमानित पूर्ति मानी जाती है।
4. चूँकि उक्त विरोधी पक्ष संख्या 5 से 11 में से किसी ने भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, अतः इस याचिका का उनके विरुद्ध एकपक्षीय रूप से निर्णीत किया जा रहा है।
5. याचिका दिनांक 28.07.2020 के कार्यालय ज्ञापन को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा वर्ष 2015 में जारी विज्ञापन के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भर्ती/नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि चयन सूची या प्रतीक्षा सूची में योग्यता क्रमांक के अनुसार होना है।
6. पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2025 का आदेश पारित किया गया था, जो निम्नवत् है:-

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"1. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता, विरोधी पक्ष संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान राज्य अधिवक्ता तथा विरोधी पक्ष संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर० के० उपाध्याय को सुना।

2. अभिलेख से प्रतीत होता है कि सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 29.04.2015 को 372 पदों के लिए जारी किया गया था, जिसके उपरान्त भर्ती प्रक्रिया के परिणाम वर्ष 2017 में राज्य सरकार को प्रेषित किए गए थे। याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित थे और तत्पश्चात उन्होंने अपनी नियुक्ति में अपने नामों के समावेशन की प्रार्थना करते हुए वर्ष 2018 की रिट याचिका संख्या 25178 (एस/एस) दाखिल की। दिनांक 28.09.2018 के अंतरिम आदेश के माध्यम से यह अंतरिम व्यवस्था प्रदान की गई थी कि यदि राज्य सरकार चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त रह गई रिक्तियों को प्रतीक्षा सूची से भरने का निर्णय लेती है, तो एक वर्ष पश्चात प्रतीक्षा सूची की अवधि समाप्त हो जाना, ऐसी रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं के मार्ग में बाधक नहीं होगा।

3. यह भी प्रतीत होता है कि तत्पश्चात उक्त कारण से चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण 43 रिक्तियाँ उत्पन्न हुईं और राज्य सरकार के प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में आयोग द्वारा 42 नाम प्रेषित किए गए। आयोग की ओर से दाखिल प्रति-शपथपत्र से यह भी संकेत मिलता है कि तत्पश्चात उक्त रिक्तियों को भरने हेतु अतिरिक्त 19 नाम भी प्रेषित किए गए थे। यह भी कहा गया है कि उक्त रिट याचिका संख्या 25178 (एस/एस) वर्ष 2018 के 28 याचिकाकर्ताओं में से बीस व्यक्तियों की अनुशंसा आयोग द्वारा पहले ही की जा चुकी थी, किन्तु शेष 8 याचिकाकर्ता, जिनमें वर्तमान याचिकाकर्ता भी सम्मिलित हैं, प्रतीक्षा सूची में उनकी निम्नतर योग्यता के कारण अनुशंसित नहीं किए जा सके।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. उपर्युक्त पहलुओं के दृष्टिगत, याचिकाकर्ताओं का दावा केवल उसी स्थिति में मान्य रहेगा जब चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण अभी भी कोई रिक्तियाँ शेष हों। ऐसी रिक्तियों के संबंध में वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण विद्वान राज्य अधिवक्ता उन रिक्तियों के संबंध में, जो अभी भी अपूर्ण पड़ी हैं, विशिष्ट लिखित निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

5. उक्त प्रभाव का शपथपत्र अगली सूचीकरण तिथि तक अथवा उससे पूर्व दाखिल किया जाएगा।

6. इस वाद को दिनांक 21.07.2025 को शीर्ष दस श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाए।"

7. उक्त के अनुपालन में, विरोधी पक्ष संख्या 1 से 3 की ओर से दिनांक 08.08.2025 का एक संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र दाखिल किया गया, जिसमें प्रस्तर-14 में विशेष रूप से यह कहा गया है, जो निम्नवत् है:-

"14. यह कि सहायक अभियोजन अधिकारियों (एपीओ) के 182 रिक्त पदों के विरुद्ध चयन करने हेतु अध्याचन पहले ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें वे 19 पद भी सम्मिलित हैं जो सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2015 के अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिताओं के अस्वीकृत होने के कारण रिक्त हो गए थे।"

8. अतः यह प्रतीत होता है कि पूर्व में याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्ष 2018 की रिट याचिका संख्या 25178 (एसएस) दाखिल की गई थी, जिसमें प्राधिकारियों को यह निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की गई थी कि वे दिनांक 29.04.2015 के विज्ञापन संख्या ए-2/ई-1/2015 के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध सहायक अभियोजन अधिकारी के पद हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई शेष योग्यता सूची/प्रतीक्षा सूची से अतिरिक्त नाम आहूत करें। अन्य सहगामी प्रार्थनाएँ भी की गई थीं।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. प्रारम्भ में दिनांक 28.09.2018 का अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जो निम्नवत् है:-

"विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने गृह विभाग में राज्य सरकार से दिनांक 28.09.2018 के पत्र द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि सहायक अभियोजन अधिकारी के पद दिनांक 15.11.1999 के शासनादेश के अधीन आते हैं और तदनुसार उक्त शासनादेश का अनुपालन वर्तमान वाद में भी किया जाएगा। दिनांक 28.09.2018 के निर्देशों से युक्त पत्र अभिलेख पर लिया गया।

उक्त विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर किए गए उपर्युक्त निवेदन के दृष्टिगत, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार, नियुक्ति आदेशों के अनुपालन में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न किए जाने के कारण रिक्त रह जाने वाली रिक्तियों को भरने के लिए, सभी संभावनाओं में, प्रतीक्षा सूची को आहूत करेगी, हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न किए जाने के कारण जो रिक्तियाँ रिक्त रह जाएँगी, उनकी पहचान करने की उक्त प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा किस समयावधि तक पूर्ण की जाएगी। इससे याचिकाकर्ताओं के मन में यह आशंका उत्पन्न होती है कि यदि समय पर निर्णय नहीं लिया गया, तो इससे प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति प्राप्त करने के उनके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

तदनुसार, हम एक अंतरिम उपाय के रूप में यह प्रावधान करते हैं कि यदि राज्य सरकार अंततः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न किए जाने के कारण रिक्त रह जाने वाली रिक्तियों को भरने हेतु प्रतीक्षा सूची को आहूत करने का निर्णय लेती है, तो उक्त प्रतीक्षा सूची की एक वर्ष की वैधता अवधि, चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न किए जाने के कारण रिक्त रह जाने वाली रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं के मार्ग में बाधक नहीं होगी।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रतिवादीगण चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपना प्रति-शपथपत्र दाखिल करेंगे। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को तत्पश्चात प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने हेतु दो सप्ताह का समय उपलब्ध होगा।

उक्त अवधि की समाप्ति के उपरांत इस वाद को सूचीबद्ध किया जाए।"

10. तत्पश्चात उपर्युक्त रिट याचिका का निस्तारण दिनांक 13.12.2019 के निर्णय एवं आदेश द्वारा निम्नलिखित प्रकार से किया गया:-

"याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह ने आगे यह प्रस्तुत किया कि विरोधी पक्षों के पास इतनी रिक्तियाँ उपलब्ध हैं जिनमें याचिकाकर्ताओं को समायोजित किया जा सकता है। उन्होंने आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र के प्रस्तर-8 और 9 का भी संदर्भ दिया है, जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि 11 रिक्तियाँ पहले से ही रिक्त थीं और 8 अन्य रिक्तियाँ इस कारण से रिक्त हैं कि उन व्यक्तियों ने संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

हालाँकि, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री रण विजय सिंह ने यह प्रस्तुत किया कि ये 8 रिक्तियाँ सरकार द्वारा वापस ले ली गई हैं, क्योंकि प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि केवल एक वर्ष है और एक वर्ष से अधिक की अवधि पहले ही व्यतीत हो चुकी है, अतः इन 8 रिक्तियों पर किसी को भी समायोजित नहीं किया जा सकता।

विरोधी पक्षों द्वारा लिया गया उपर्युक्त दृष्टिकोण दिनांक 28.09.2018 के अंतरिम आदेश के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त नहीं कहा जा सकता, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर विचार करते हुए यह अवलोकन किया कि प्रतीक्षा सूची की एक वर्ष की वैधता अवधि याचिकाकर्ताओं के मार्ग में बाधक नहीं होगी। अर्थात् याचिकाकर्ताओं को केवल इस कारण से उपेक्षित नहीं

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया जा सकता कि प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है। बल्कि, इन 8 रिक्तियों को याचिकाकर्ताओं के समायोजन हेतु रिक्त माना जाना चाहिए।

राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री रण विजय सिंह ने प्रस्तुत किया कि इस समय उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि कितनी रिक्तियाँ रिक्त हैं। चूँकि प्राधिकारियों द्वारा 8 रिक्तियों का खुलासा किया गया है, अतः उन्हें केवल इन 8 रिक्तियों के संबंध में ही जानकारी है।

किन्तु याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह ने यह प्रस्तुत किया कि इन 8 रिक्तियों के अतिरिक्त कम से कम 11 या 12 रिक्तियाँ और भी रिक्त हैं, जिन पर वर्तमान याचिकाकर्ताओं को समायोजित किया जा सकता है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए उपर्युक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, मैं इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए सक्षम प्राधिकारी को निर्देश देता हूँ कि वे 11 की संख्या में याचिकाकर्ताओं को रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित करें और विरोधी पक्ष यह आपत्ति न उठाएँ कि एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के उपरांत प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है, क्योंकि उक्त प्रतीक्षा सूची को इस न्यायालय के दिनांक 28.09.2018 के अंतरिम आदेश द्वारा संरक्षित किया गया है।

याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति को अपने संयुक्त अभ्यावेदन सहित एक सप्ताह की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक माह की अवधि के भीतर उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपयुक्त आदेश पारित करते समय सक्षम प्राधिकारी उस प्रयोजन के लिए लागू नियमों, विनियमों तथा प्रासंगिक शासनादेशों अथवा परिपत्रों का विधि के अनुसार कड़ाई से पालन करेंगे।"

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. अतः यह परिलक्षित होता है कि संबंधित प्राधिकारी को यह निर्देश जारी किए गए कि वह 11 की संख्या में याचिकाकर्ताओं को रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित करे, बिना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक वर्ष की अवधि के उपरांत प्रतीक्षा सूची समाप्त हो चुकी है।
12. यह स्वीकृत है कि वर्तमान याचिकाकर्ता उपर्युक्त रिट याचिका संख्या 25178 (एसएस) वर्ष 2018 में याचिकाकर्ता थे।
13. यह भी प्रतीत होता है कि उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 161 वर्ष 2021 दाखिल की गई और विलंब क्षमायाचना स्वीकृत हुए बिना उसी स्थिति में अभी भी विचाराधीन है।
14. पूर्व में वर्तमान रिट याचिका में पारित दिनांक 03.09.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त तथ्य का संज्ञान लिया गया था और विद्वान राज्य अधिवक्ता को यह निर्देश दिया गया था कि वे उक्त अपील के निस्तारण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर उसे अग्रसारित करें, अन्यथा रिट याचिका का अंतिम निर्णय प्रस्तुत किए गए तर्कों के आधार पर किया जाएगा।
15. यद्यपि सितंबर, 2024 में ऐसा अवसर प्रदान किया गया था, तथापि यह स्वीकार किया गया कि उपर्युक्त विशेष अपील विलंब क्षमा किए बिना अभी भी विचाराधीन है।
16. आयोग की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर० के० उपाध्याय ने यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अपनी भर्ती पर विचार हेतु अपने नामों के समावेशन की मांग कर रहे हैं, चयन सूची में उनसे अधिक योग्यता रखने वाले अन्य व्यक्तियों के नामों को बाहर रखते हुए, जिसमें याचिकाकर्ताओं के नाम भी सम्मिलित हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि ऐसा अनुतोष प्रदान किया जाता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।
17. उक्त निवेदन के संबंध में, पक्षकारों के मध्य यह स्वीकार किया गया कि चयन सूची दिनांक 22.09.2017 को निर्गत की गई थी। निर्विवाद रूप से, उपर्युक्त सूची एक वर्ष की अवधि उपरांत समय के प्रवाह से समाप्त हो चुकी है। यह भी स्वीकार किया गया है कि चयन सूची में

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अंकित किन्तु याचिकाकर्ताओं से उच्चतर स्थान पर स्थित अनेक व्यक्तियों ने उक्त के विरुद्ध कोई चुनौती प्रस्तुत नहीं की।

18. उक्त पहलू पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम स्वरूप सरोज**, दर्ज (2000) 3 एससीसी 699 में पहले ही विचार किया जा चुका है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह धारित किया गया है कि चयन सूची सामान्यतः उसके अधिसूचित किए जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त हो जाती है, सिवाय उन मामलों के जहाँ चयन सूची को विधि के न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी जाती है, जिन परिस्थितियों में ऐसी चयन सूची को जारी माना जाएगा और वह वाद के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

19. वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों में, रिट याचिका संख्या 25178 (एसएस) वर्ष 2018 में पारित दिनांक 13.12.2019 का निर्णय एवं आदेश किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त, संशोधित या परिवर्तित नहीं किया गया है और अभी भी प्रभावी है, विशेषकर इस तथ्य के कारण कि उसके विरुद्ध दाखिल विशेष अपील में विलंब तक क्षमा नहीं किया गया है।

20. ऐसी परिस्थितियों में, विशेषकर जब दिनांक 03.09.2024 के आदेश द्वारा विरोधी पक्षों को अवसर प्रदान किया गया था, विरोधी पक्ष दिनांक 13.09.2019 के निर्णय एवं आदेश से बाध्य हैं।

21. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अतः यह अभिधारित किया जाता है कि वर्ष 2015 के उपर्युक्त विज्ञापन के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु समावेशन के लिए विचार केवल ऐसे अभ्यर्थियों को उपलब्ध होगा जो योग्यता सूची में अंकित हैं और जिन्होंने उक्त योग्यता सूची को चुनौती दी है, क्योंकि अन्य ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने कोई ऐसी चुनौती प्रस्तुत नहीं की है, चयन सूची उसके अधिसूचना के एक वर्ष उपरांत समाप्त मानी जाएगी।

#### अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

22. चूँकि अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्होंने चयन सूची को चुनौती नहीं दी है, उसी आधार पर विचार से वंचित किए जा रहे हैं, अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधीन किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।

23. उपर्युक्त किए गए विचार-विमर्श के परिप्रेक्ष्य में, प्रश्नगत कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.07.2020, जहाँ तक वह चयन सूची के सभी व्यक्तियों के विचार हेतु निर्देश देता है, उस सीमा तक, उत्प्रेषण की प्रकृति की रिट जारी करते हुए, निरस्त किया जाता है। परिणामी संप्रेषण दिनांक 14.08.2020, जहाँ तक वह ऐसे सभी व्यक्तियों के नामों को सम्मिलित करता है जिन्होंने चयन सूची को चुनौती प्रस्तुत नहीं की है, भी उसी सीमा तक निरस्त किया जाता है।

24. एक और रिट, परमादेश की प्रकृति की, जारी की जाती है, जिसके द्वारा संबंधित प्राधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 29.04.2015 के विज्ञापन के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु याचिकाकर्ताओं की अभ्यर्थिता के विचार के संबंध में उपयुक्त आदेश शीघ्रताशीघ्र, इस आदेश की प्रमाणित प्रति उक्त प्राधिकारी को तामील किए जाने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर, उन 19 पदों के विरुद्ध, जो प्रति-शपथपत्र के प्रस्तर-14 के अनुसार अभी भी उक्त वर्ष 2015 के विज्ञापन के अंतर्गत रिक्त बताए गए हैं, पारित करे।

25. फलस्वरूप, याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। पक्षकार अपने-अपने व्यय वहन करेंगे।

( न्यायमूर्ति मनीष माथुर )

17 मार्च, 2026

केवीजी/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।